सं. टी-14018/8/2013-पीएच-II

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
पीएच प्रभाग
****

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 13 सितंबर, 2018

नोटिस

यह मंत्रालय राष्ट्रीय रोग नियंत्रक केंद्र (एनसीडीसी) में सहायक निदेशक (प्रशासन) के पद हेतु भर्ती नियमों में संशोधन करने के प्रस्ताव की जांच कर रहा है। इस संबंध में भर्ती नियम का प्रारूप तैयार किया गया था, जिसे संयुक्त सचिव (जन स्वास्थ्य), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

प्रस्ताव को संबंधित एजेंसियों के साथ उठाने से पहले, इस मामले में सभी हितधारकों से टिप्पणियां, यदि कोई हों, आमंत्रित की जाती हैं। टिप्पणियां अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 23.10.2018 तक कमरा सं .435-'सी', निर्माण भवन, नई दिल्ली – 110011को प्रस्तुत की जाएं और सॉफ्ट कॉपी ziley.vical@nic lin पर भेजी जाए।

संलग्नक: यथोपरि

जिले सिंह विकल
13/9/18
(जिले सिंह विकल)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011-23061554

भारत के राजपत्र के भाग-II खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली

दिनांक: 2018

अधिसूचना

सां.का.नि.- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, दिल्ली में सहायक निदेशक (प्रशासन) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात्:-

1. ***संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:***– (1) इन नियमों को संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र समूह "क" सहायक निदेशक (प्रशासन) भर्ती नियम 2018 कहा जाएगा।
   (2) यह सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. ***अनुप्रयोग:***- ये नियम, इन नियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे।
3. ***पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स:***- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर वह होगा जो इन नियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. ***भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं आदि:***- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं।
5. ***निरर्हता:***– वह व्यक्ति
   (क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है जिसका पति या पत्नी जीवित है; या
   (ख) जिसने एक पति/एक पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह की संविदा की है उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा:-

परंतु यदि केंद्रीय सरकार इससे सहमत है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इन नियमों के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति:**- जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके एवं संघ लोक सेवा

आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति:-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

हस्ताक्षर

अवर सचिव, भारत सरकार

अनुलग्नक-I

अनुसूची

राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, दिल्ली के लिए सहायक निदेशक (प्रशासन) के भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतमान अथवा वेतन मैट्रिक्स लेवल	चयनित पद है अथवा अचयनित	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
सहायक निदेशक (प्रशासन)	*एक	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'क', राजपत्रित	वेतन मैट्रिक्स लेवल – 11 (संशोधन पूर्व पी.वी-3 रु. 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन रु. 6600)	चयन	40 वर्ष से अधिक नहीं। केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों हेतु 05 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यार्थियों से आवदेन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले का लाहौल एवं स्पीति जिला तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड और अण्डमान और निकोबार, द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप के अभ्यार्थियों के लिए विहित की गई है।	अनिवार्य:- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समकक्ष। (ii) किसी सरकारी कार्यालय या किसी प्रतिष्ठित सार्वजनिक संगठन में पर्यवेक्षी क्षमता में प्रशासन, लेखा तथा स्थापना कार्य का 8 वर्ष का अनुभव। टिप्पणी 1: यदि उम्मीदवार सुयोग्य हो तो संघ लोक सेवा आयोग अपने विवेकानुसार अर्हता में छूट दे सकता है। टिप्पणी 2: यदि चयन के किसी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय हो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन वर्गों में अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो इन वर्गों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी अर्हता (एं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिलनीय हैं। <u>वाछनीय</u>: सरकारी नियमों और विनियमों का ज्ञान

*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है।

क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिणिक योग्यताएं पदोन्नत होने वाले व्यक्तियों के मामले में भी लागू होंगी।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की विधिः क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रति-नियुक्ति/आमेलन किया जाना है।	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, उसकी संरचना कैसी है।	परिस्थितियां, जिनमें भर्ती करने हेतु संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
8	9	10	11	12	13
नहीं	दो वर्ष (सीधी भर्ती के लिए)	पदोन्नति द्वारा अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न मिलने पर सीधी भर्ती द्वारा।	<u>**पदोन्नतिः**</u> वेतन मैट्रिक्स लेवल-8 (संशोधन पूर्व) पी.वी-2 वेतनमान रु. 9300-34800 तथा ग्रेड वेतन रु. 4800/- में प्रशासनिक अधिकारी, जो नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में 6 वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं। अथवा <u>**प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण**</u> (क) केंद्र/राज्य सरकार के अधिकारी, जो - (i) सदृश पदधारी हो, या (ii) वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (संशोधन पूर्व) पी.वी-3 रु. 9300-34800 तथा ग्रेड वेतन रु. 5400 या समकक्ष (रु. 8000-275-13500) या समकक्ष पदों पर 5 वर्ष	(i) समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने हेतु)। (ii) समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण पर विचार करने हेतु) टिप्पणः स्थायीकरण से संबंधित विभागीय पदोन्नति समिति की कार्रवाई रिपोर्ट अनुमोदन हेतु आयोग को भेजी जाएगी तथापि, यदि आयोग द्वारा इन्हें अनुमोदित नहीं किया जाता है तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य की अध्यक्षता में विभागीय पदोन्नति समिति की एक नई बैठक आयोजित की	पदोन्नति, सीधी भर्ती, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु किसी अधिकारी का चयन करते समय और इन विनियमों के किसी प्रावधान में संशोधन करने/छूट देते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।